Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 90–2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 20, 2022 (VAISAKHA 30, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग

(भवन एवं सड़क शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 20 मई, 2022

संख्या 02/04/2021–2 बी0 एण्ड आर0(डब्ल्यू०).– ठेकेदार के लिए पंजीकरण नियम–2022, हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल पर ठेकेदारों के पंजीकरण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

विषय सूची

1. प्रस्तावना
   - 1.1 शीर्षक
   - 1.2 उद्देश्य
2. परिभाषाएं
3. प्रयोज्यता
4. सभी प्रकार के कार्यों के लिए ठेकेदार की श्रेणी
5. शोधन–क्षमता प्रमाणपत्र
6. पंजीकरण शुल्क
7. पंजीकरण के लिए वापसीयोग्य जमा
8. पंजीकरण और नवीनीकरण की वैधता की अवधि
9. इंजीनियरिंग कार्यों के लिए पंजीकरण हेतु योग्यता
10. अनुमोदन समिति और ठेकेदारों के पंजीकरण के आवेदन से निपटने के लिए समय–सीमा
11. पंजीकरण आवेदन के निपटान की समय–सीमा
12. पंजीकरण के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची
13. पंजीकरण प्रमाण–पत्र
14. पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रयोज्यता
15. अन्य नियम
16. वापसी योग्य जमा वापसी
17. ठेकेदार के दायित्व
18. अनुशासनात्मक कार्रवाइयां और योग्यताएं
19. अनुबन्ध – ए 1
20. अनुबन्ध – ए 2
21. अनुबन्ध – बी

परिवर्णी और संक्षिप्त शब्द

सीए	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सीई	मुख्य अभियंता
ईई	कार्यकारी अभियंता
ईएमडी	धरोहर राशि जमा
जीओआई	भारत सरकार
जीओएच	हरियाणा सरकार
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
एचईडब्ल्यूपी	हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल
आईटीआर	आयकर विवरणी
आईएसआई	भारतीय मानक संस्थान
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
एलएलसी	लिमिटेड दायित्व कंपनी
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनआईटी	निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीबीजी	प्रदर्शन बैंक गारंटी
एसई	अधीक्षण अभियंता
टैन	कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या

1. प्रस्तावना

1.1 शीर्षक

ये नियम ''हरियाणा ठेकेदार पंजीकरण नियम–2022'' कहे जा सकते है यह अधिसूचना/सरकार से अनुमोदन की तिथि से लागू होगे।

1.2 उद्देश्य

ठेकेदार पंजीकरण नियम–2.22 का उद्देश्य पंजीकृत ठेकेदारों को धरोहर राशि जमा करने से छूट तथा कारबार करने की आसानी के लिए सहायता मुहैया करना है। ''हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) का उद्देश्य ठेकेदारों को पारदर्शिता और पहुंच को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो मुहैया करना है।

पंजीकृत ठेकेदार निम्नलिखित लाभों से लाभान्वित होंगे :–

1. पंजीकृत ठेकेदार को हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर तैयार निविदाओं के लिए धरोहर राशि का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।
2. विभाग तथा ठेकेदार के लिए वन स्टॉप सूचना मंच।
3. पंजीकरण, नवीनीकरण, निविदा, कार्यों के आबंटन आदि के संबंध में ठेकेदारों के लिए पारदर्शिता और ऑनलाइन सरलीकरण में सुधार।

2. परिभाषाएं

1. ''प्राधिकृत हस्ताक्षरकरर्ता'' से अभिप्राय हैं, बाध्यकारी करार के लिए संगठन को प्राधिकृत करने के लिए शक्तियों से निहित (स्पष्टतया, अस्पष्टतया या संचालन के माध्यम से) बोलीदाता का प्रतिनिधि/अधिकारी। सम्बन्धित बोली देने वाली फर्म के सक्षम प्राधिकारी से मुख्तारनामा (पी ओ ए) वाला हस्ताक्षर अधिकारी/प्राधिकारी भी कहा जाता है।
2. ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, प्राधिकारी या अधिकारी जिसे खरीद से संबंधित मामले में निर्णय लेने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।
3. ''मुख्य अभियंता'' से अभिप्राय है, हरियाणा के इंजीनियरिंग विभाग का मुख्य अभियंता।
4. ''वर्ग'' से अभिप्राय है, वर्ग जिसमें ठेकेदार पंजीकृत किया गया है।
5. ''कंपनी'' से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी।
6. ''कॉर्पोरेट निकाय'' से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) हरियाणा कंपनी अधिनियम–1956 या हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत निगमित निकाय।
7. ''फर्म'' से अभिप्राय है, ''व्यक्ति जिसने एक दूसरे के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है, को व्यक्तिगत रूप से ''साझेदार'' और सामूहिक रूप से ''एक फर्म'' कहा जाता है, और जिस नाम के तहत उनका व्यवसाय किया जाता है उसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(23)(प) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के अनुसार ''फर्म नाम'' कहा जाता है।
8. ''विभाग'' हरियाणा सरकार का हरियाणा इंजीनियरिंग विभाग (एच ई डब्ल्यू पी पोर्टल के बोर्ड पर)।
9. ''धरोहर राशि जमा या ई एम डी'' से अभिप्राय है, निविदा के साथ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक धनराशि।
10. ''मुख्य अभियन्ता'' से अभिप्राय है, हरियाणा के इंजीनियरिंग विभाग का मुख्य अभियन्ता।
11. ''कार्यकारी अभियंता'' से अभिप्राय है, इरियाणा इंजीनियरिंग विभाग के प्रभाग का कार्यकारी अभियंता।
12. ''श्रम तथा निर्माण सोसाइटी'' से अभिप्राय है, सिविल कार्य करने के लिए हरियाणा सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत श्रमिक और निर्माण सोसाईटी है।
13. ''एल एल पी'' से अभिप्राय है, सीमित देयता भागीदारी है जहां भागीदारी को दयता एल एल पी में उनके सहमत योगदान तक सीमित है।
14. ''पैन'' से अभिप्राय है, आयकर प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी व्यक्तिगत लेखा संख्या है।
15. ''सी आई एन'' से अभिप्राय है, कॉर्पोरेट पहचान संख्या एक अनन्य पहचान संख्या है, जिसे भारत सरकार के एम सी ए (कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय) के तहत विभिन्न राज्यों के आर ओ सी (कंपनियों के रजिस्ट्रार) द्वारा सौंपी गई है। कॉर्पोरेट पहचान संख्या एक 21 अंकों का अल्फ़ा–न्यूमेरिक कोड है जो पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में स्थित आर ओ सी पंजीकृत होने पर देश के भीतर निगमित कंपनियों को जारी किया जाता है।
16. ''डी आई एन'' से अभिप्राय है, निदेशक पहचान संख्या के अनन्य पहचान संख्या है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 153 और 154 के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को आबंटित की जाती है।

17. ''जी एस टी'' से अभिप्राय है, भारत सरकार के संबंधित विभाग द्वारा जारी माल तथा सेवा विक्रय कर संख्या।

18. ''सचिव'' से अभिप्राय है, सरकार का सचिव या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव;

19. ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार;

20. ''अधीक्षण अभियंता'' से अभिप्राय है, परिमण्डल का अधीक्षण अभियंता या हरियाणा इंजीनियरिंग विभाग का मुख्यालय, जैसा भी स्थिति हो;

21. ''निविदा'' से अभिप्राय है, ठेकेदार द्वारा विभाग को कार्य निष्पादित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के जवाब में प्रस्तुत प्रस्ताव;

22. ''निविदा सीमा'' से अभिप्राय है, वह अधिकतम सीमा जिस तक पंजीकृत ठेकेदार निविदा के लिए पात्र है;

23. ''पंजीकरण प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, इन नियमों के तहत यथा विनिर्दिष्ट सम्बन्धित अनुमोदन समिति जिसे हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल पर पंजीकरण के लिए ठेकेदारों के आवेदन के सम्बन्ध में निपटान करने और निर्णय लेने की शक्तियां निहित की गई है;

3. प्रयोज्यता

हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) पर पंजीकृत ठेकेदारों के लिए इंजीनियरिंग विभागों के कार्यों के लिए उपयुक्त और सक्षम ठेकेदारों की सूची तैयार करनी आशयित है ताकि निविदाओं के समय पर ठेकेदारों के प्रत्यय–पत्रों के सत्यापन के लिए आवश्यकता और समय को कम किया जा सके। वहीं, जो ठेकेदार पंजीकृत है, उन्हें पेशगी राशि जमा (ई एम डी) में छूट का लाभ मिलेगा। कोई भी भारतीय व्यक्ति, एकल स्वामित्व वाली फर्म, सांझेदारी फर्म, लिमिटेड दायित्व सांझेदारी, लोक लिमिटेड कंपनी या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी इन नियमों के तहत इंजीनियरिंग विभाग, हरियाणा में ठेकेदार के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती है, बशर्ते कि पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें पूरी हों, पंजीकृत ठेकेदारों को अपने पंजीकरण की वैधता के दौरान नीचे दिए गए सभी नियमों और समय–समय पर यथा संशोधित नियमों का पालन करना होगा :–

(i) हरियाणा सरकार के इंजीनियरिंग विभागें के कार्यों के लिए बोली जमा करने के इच्छुक प्रत्येक ठेकेदार को हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल ''https:/works/haryana/gov.in'' पर लॉगिन सृजित करना होगा। लॉगिन सृजन करने के बाद, ठेकेदार ई एम डी की छूट का लाभ लेने के लिए एच ई डब्ल्यू पी पर पंजीकरण के लिए भी आवेदन कर सकता है।

(ii) आवेदन प्रारूप लॉगिन लेखा बनाने के बाद ''https:/works/haryana/gov.in'' पर उपलब्ध होगा।

(iii) ठेकेदारों द्वारा एच ई डब्ल्यू पी पर लॉगिन खाता बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं है।

(iv) एच ई डब्ल्यू पी पर पंजीकृत नहीं होने वाले ठेकेदार भी निविदा में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ई एम डी छूट का लाभ नहीं मिलेगा और ठेकेदार किसी विशेष कार्य में विनिर्दिष्ट अनुसार राशि के लिए बोली के हिस्से के रूप में ई एम डी प्रस्तुत करेंगे।

(v) यदि एच ई डब्ल्यू पी पर निचले वर्ग में पंजीकृत ठेकेदार और उच्च श्रेणी की निविदाओं में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से पात्र हैं, तो ठेकेदार ई एम डी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो पंजीकृत ठेकेदार के लिए लागू नहीं है।

(vi) सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी या वैधनिक संगठन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा कोई भी कर्मचारी/आउटसोर्सड कर्मचारी पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा। इस नियम के प्रयोजन के लिए, सरकारी कंपनी में सहकारी सोसाइटी, श्रम और निर्माण सोसाइटी या कॉर्पोरेट निकाय शामिल हैं, जो नियमित आधार पर किसी भी सरकार स्त्रोत से वित्तीय अनुदान प्राप्त करता है।

(vii) कोई भी व्यक्ति, या कोई फर्म/एल एल पी/कंपनी, जिसका ऐसा व्यक्ति भागीदार/निदेशक में से एक है, जो बर्खास्त सरकारी कर्मचारी है; या ठेकेदारों की पंजीकृत सूची से हटा दिया गया है या अतीत में किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्थानीय निकाय या स्वायत्त निकाय द्वारा व्यवसाय को प्रतिबंधित/निलंबित कर दिया गया है या विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति पंजीकरण के लिए हकदार नहीं होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ठेकेदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और इस तरह की शास्ति अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो उसके पंजीकरण/पुनर्वैधीकरण के मामले पर विचार किया जा सकता है।

(viii) हिंदू अविभाजित परिवार, कॉर्पोरेट निकाय, फर्म, सहकारी सोसाइटी, श्रम और निर्माण सोसाइटी का कोई व्यक्ति या फर्म या कंपनी या कारता, जिसे किसी भी सरकारी विभाग (केंद्र या किसी राज्य सरकार) या के साथ व्यापार करने से विवर्जित कर दिया गया हो या सरकारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या कार्पोरेट निकाय या वैधानिक संगठन, जो सरकार से वित्तीय अनुदान प्राप्त करता है, पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

(ix) किसी व्यक्ति या फर्म का भागीदार या कंपनी या संगठन का प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी को नैतिक अधमता के मामले में या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी मामले में विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, वह पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

(x) ठेकेदारों को निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों का पालन करना होगा।

(xi) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साझेदारी फर्म बनाते हैं और यदि किसी भी भागीदार के पास किसी भी वर्ग में पंजीकरण के लिए पात्र बनने के लिए आवश्यक कार्य अनुभव हैं, जिसमें पंजीकरण की मांग की गई है, तो उनके मामले को अन्य अधिकथित मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन साझेदारी फर्म के पंजीकरण के लिए माना जाएगा। इसी तरह, एकमात्र मालिक या नई फर्म के किसी भागीदार द्वारा किए गए कार्यों से प्राप्त पिछले कार्य अनुभव, बशर्ते कि उसने अपनी पिछली फर्म को छोड़ दिया हो या खुद को अलग कर लिया हो, उस साझेदारी फर्म में आवेदक के हिस्से के समान अनुपात में भी विचार किया जाएगा।

(xii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी भी इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कर्त्तव्यों में नियोजित किसी भी इंजीनियर या किसी अन्य अधिकारी को सरकारी सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए एक ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में इंजीनियरिंग विभागों में काम करने की अनुमति नहीं है। जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की हो। पंजीकरण के बाद भी, यदि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने पूर्वोक्तानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की थी, तो ठेकेदार का नाम पंजीकृत ठेकेदारों की सूची से हटा दिया जाएगा।

(xiii) किसी फर्म का भागीदार या किसी श्रेणी में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत कंपनी का निदेशक किसी भी इंजीनियरिंग विभाग में एच ई डब्ल्यू पी पर किसी अन्य पंजीकृत फर्म/कंपनी में भागीदार/निदेशक नहीं हो सकता।

4. सभी प्रकार के कार्यों के लिए ठेकेदार का वर्ग

क्र.सं.	ठेकेदार के वर्ग	कार्य की राशि
1.	वर्ग –I	25 करोड़ से अधिक
2.	वर्ग –II	25 करोड़ तक
3.	वर्ग –III	10 करोड़ तक
4.	वर्ग – IV	1 करोड़ तक

5. शोधन–क्षमता प्रमाण पत्र

ठेकेदारों द्वारा समय–समय पर दिए गए या यथा संशोधित मूल्य का बैंक शोधन–क्षमता प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा :–

क्र.सं.	ठेकेदार का वर्ग	शोधन–क्षमता प्रमाण पत्र का मूल्य (लाख रूपए में)
1.	वर्ग –I	200.00
2.	वर्ग –II	100.00
3.	वर्ग –III	50.00
4.	वर्ग –IV	शून्य

6. पंजीकरण शुल्क

एकमुश्त गैर–वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क 5000/– रूपए (केवल पांच हजार रूपये), या सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित पंजीकरण प्रक्रिया के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल (एच ई डब्ल्यू पी) के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

7. पंजीकरण के लिए वापसी योग्य जमा

पंजीकरण के लिए एक मुश्त वापसी योग्य जमा का भुगतान केवल ऑनलाइन किया जाएगा। हालांकि, वापसी योग्य जमा का भुगतान आवेदन की जांच/सत्यापन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण के लिए योग्य पाए जाने के बाद निम्न अनुसार किया जाएगा :–

क्र.सं.	ठेकेदार के वर्ग/प्रवर्ग	वापसी योग्य जमा (लाख रूपए में)
1.	वर्ग –I	15.00
2.	वर्ग –II	10.00
3.	वर्ग –III	05.00
4.	वर्ग –IV	00.50

8. पंजीकरण और नवीनीकरण की वैधता की अवधि

ठेकेदार का पंजीकरण 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा। हालांकि, ठेकेदार पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आगे पांच साल की अवधि के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, जिसके लिए ठेकेदार के पंजीकरण की समाप्ति से तीन महीने पहले आवेदन कर सकता है। एजेंसी सभी पात्रता मानदंडों और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जहां से पहले पंजीकृत थी, वर्ग के उन्नयन के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकती है।

9. इंजीनियरिंग कार्यों के लिए पंजीकरण के लिए योग्यता

ठेकेदारों के विभिन्न वर्गों के लिए पंजीकरण हेतु पिछले पांच वर्षों में से किसी एक में औसत वार्षिक टर्नओवर और पिछले पांच वर्षों में निष्पादित कार्य का न्यूनतम मूल्य निम्नानुसार होगाः–

क्र.सं.	**ठेकेदार के वर्ग/प्रवर्ग**	**पिछले पांच वर्षों में से किसी एक में औसत टर्न ओवर (लाख रूपए में)**	**पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य**
1.	वर्ग –I	1000.00	20 करोड़ रूपये का एकल कार्य या प्रत्येक 12.5 करोड रूपये के दो कार्य या प्रत्येक 10 करोड़ रूपये के तीन कार्य
2.	वर्ग –II	500.00	10 करोड़ रूपये का एकल कार्य या प्रत्येक 6.25 करोड रूपये के दो कार्य या प्रत्येक 5 करोड़ रूपये के तीन कार्य
3.	वर्ग –III	300.00	4 करोड़ रूपये का एकल कार्य या प्रत्येक 2.5 करोड रूपये के दो कार्य या प्रत्येक 2 करोड़ रूपये के तीन कार्य
4.	वर्ग –IV	शून्य	शून्य

10. ठेकेदारों के पंजकरण के निपटान के लिए अनुमोदन समिति और समय सीमा पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले ठेकेदारों के प्रत्यय–पत्र का सत्यापन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा :–

क्र.सं.	**ठेकेदार के वर्ग/प्रवर्ग**	**प्रवर्ग**	**अनुमोदन समिति**
1.	प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग	(i) मुख्य अभियंता (वरिष्ठतम)	अध्यक्ष
		(ii) मुख्य अभियंता (दूसरा वरिष्ठतम)	सदस्य
		(iii) अधीक्षण अभियंता (मुख्य कार्यालय)'	सदस्य सचिव
2.	वर्ग–III	(i) सम्बन्धित मण्डल का अधीक्षण अभियंता	अध्यक्ष
		(ii) सम्बन्धित सर्कल के तहत प्रथम वरिष्ठतम कार्यकारी अभियंता	सदस्य
		(iii) सम्बन्धित सर्कल के अधीक्षक	सदस्य सचिव
3.	वर्ग –IV	(i) सम्बन्धित प्रभाग का कार्य अभियंता	अध्यक्ष/सदस्य''
		(ii) अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित एक कार्यकारी अभियंता	अध्यक्ष/सदस्य''
		(iii) उप अधीक्षक (सम्बन्धित प्रभाग में कार्यरत)	सदस्य–सचिव

नोट : 'मुख्य अभियंता द्वारा मनोनीत किया जाना है।

''(i) या (ii) में से वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

एक बार हितबद्ध आवेदक द्वारा अनुरोधित वर्ग में पंजीकरण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन प्रवाह निम्नानुसार होगा :

पंजीकरण मामलों से निपटने के लिए प्रक्रिया प्रवाह :

स्तर	वर्ग–I तथा वर्ग–II	वर्ग–III	वर्ग –IV
I	प्रस्तुत आवेदन की सम्बन्धित मण्डल स्तर पर संवीक्षा की जाएगी, सत्यापित किया जाएगा तथा सम्बन्धित सर्कल में भेजा जाएगा।	प्रस्तुत आवेदन की सम्बन्धित मण्डल स्तर पर संवीक्षा की जाएगी, सत्यापित किया जाएगा तथा सम्बन्धित सर्कल में भेजा जाएगा।	प्रस्तुत आवेदन की संवीक्षा की जाएगी, सत्यापित किया जाना तथा सम्बन्धित मण्डल स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।
II	प्रस्तुत आवेदन की सम्बन्धित सर्कल स्तर पर संवीक्षा की जाएगी, सत्यापित किया जाएगा तथा सम्बन्धित मुख्यालय में भेजा जाएगा।	प्रस्तुत आवेदन की सम्बन्धित सर्कल स्तर पर संवीक्षा की जाएगी, सत्यापित किया जाएगा तथा सम्बन्धित सर्कल में भेजा जाएगा।	
III	प्रस्तुत आवेदन की संवीक्षा की जाएगी, सत्यापित किया जाएगा तथा सम्बन्धित मुख्यालय स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।		

11. पंजीकरण आवेदन के निपटान के लिए समय–सीमा

ठेकेदार अनुमोदन समिति के माध्यम से सत्यापन के लिए पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान विभागों, सर्कल और डिवीजन को चुनेगा।

पंजीकरण आवेदन की कार्यवाही करने की अधिकतम समय अवधि 36 दिन है और सत्यापन के प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय सीमा निम्नानुसार है। यदि प्राधिकारी द्वारा पहले चरण में दी गई समय के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो आवेदन अगले चरण के लिए नोडल डिवीजन के लिए खुला होगा।

पंजीकरण प्रक्रिया के लिए सक्षम प्राधिकारी समय अवधि के भीतर प्राप्त सभी आवेदनरों का निर्णय/सत्यापन निम्नानुसार करेगा :–

क्र.सं.	दिनों की संख्या	सत्यापन प्राधिकारी
1.	15 दिन	हरियाणा सरकार, बोर्ड, निगमों आदि के ग्राहक विभाग को उनके अधिकारक्षेत्र के तहत किसी विशेष कार्य के लिए ठेकेदार के प्रदर्शन के सत्यापन के लिए।
2.	7 दिन	नोडल डिवीजन
3.	7 दिन	सम्बन्धित सर्कल
4.	7 दिन	मुख्य अभियंता की मुख्यालय समिति

12. पंजीकरण के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

हितबद्ध आवेदक को पंजीकरण के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने चाहिए :

क. अनिवार्य दस्तावेज

1. गठन का प्रमाण – भागीदारी विलेख (साझेदारी फर्म पंजीकरण के मामले में); या समावेधन प्रमाण पत्र (निजी लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सीमित देयता भागीदारी, पंजीकरण के माले में); या प्रमाणित गठन करने का कोई भी सबूत (सोसाइटी, न्यास, ए ओ पी, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक निकाय पंजीकरण के मामले में)
2. पैन कार्ड
3. जी एस टी प्रमाणपत्र
4. गैर–काली सूची में डालने का वचन – (प्रमाण पत्र कि ठेकेदार को पहले काली–सूची में नहीं डाला गया है)
5. अचल संपत्तियों का प्रमाण/स्व–प्रमाणन जिसमें कोई संपत्ति नहीं है
6. श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र
7. शोधन–क्षमता प्रमाण पत्र
8. पिछले तीन वर्षों की आई टी आर

9. रद्द किया गया चैक (बैंक खाते का प्रमाण)
10. पते का प्रमाण
11. टर्नओवर पर सीए प्रमाणपत्र (वर्ग I, II और III के लिए)
12. पूर्ण आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति।

ख. वैकल्पिक दस्तावेज

1. टैन संख्या दस्तावेज
2. एमएसएमई पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
3. पछिले तीन वर्षों के लिए फॉर्म 26 ए एस (आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया गया)
4. अंतिम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र अपलोड करने के लिए एलएलसीएस (सीमित देयता कंपनी)
5. एजेंसी के गठन में परिवर्तन
6. मुकदमेबाजी का इतिहास (यदि कोई हो)
7. परित्यक्त कार्यों की सूची (यदि कोई हो)
8. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

13. पंजीकरण प्रमाणपत्र

एक बार जब ठेकेदार को पात्र पाया गया और उसने विहित जमा राशि का भुगतान कर दिया, तो यह पोर्टल से पंजीकरण प्रमाण पत्र उत्पन्न कर सकता है। क्यूआर कोड के साथ विहित प्रारूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र में एजेंसी का मूल विवरण होगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रमाण पत्र को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। कोई अन्य पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

14. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रयोज्यता

पंजीकरण प्रमाण पत्र एच ई डब्ल्यू पी पर हरियाणा के सभी ऑन–बोर्डिड इंजीनियरिंग विभागों पर मान्य होगा।

15. अन्य नियम

1. फर्म/कंपनी के गठन या पते में जब कभी कोई भी परिवर्तन होने पर ठेकेदार को डेटा को ऑनलाइन अपडेट करना होगा।
2. पंजीकरण प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी या स्वैच्छिक द्वारा अपंजीकृत नहीं किया जाता है।
3. यदि ठेकेदार को हरियाणा राज्य या अन्य राज्यों या भारत सरकार के किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम में निविदा के लिए काली–सूची में डाल दिया गया है, तो ठेकेदार को अपंजीकृत किया जाएगा। सम्बन्धित डिवीजन (जहां ऐसी कार्रवाई की जाएगी) एच ई डब्ल्यू पी पर ऐसी स्थिति को अद्यतन करेगा और सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करेगा।
4. यदि ठेकेदार वर्ग को अपग्रेड करना चाहता है, तो वह यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर आवेदन कर सकता है।
5. सहकारी श्रम एवं निर्माण सोसाइटीयों के मामलों में, पंजीकरण के लिए एकमुश्त वापसी योग्य जमा राशि बिंदु संख्या 7 में उल्लिखित राशि उपरोक्त ''पंजीकरण के लिए वापसी योग्य जमा'' का पचास प्रतिशत होगी।
6. अपंजीकृत सहकारी श्रम एवं निर्माण सोसाइटी के लिए धरोहर राशि (ईएमडी) सहकारिता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित नियमों और अधिसूचना हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 8366–सी–7–2016/13189, दिनांक 08–12–2016 के अनुसार) द्वारा शासित होगी।
7. प्रत्येक कार्य के पूरा होने के बाद पंजीकृत ठेकेदार के कार्य की निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा। विशेष वर्ग में पंजीकरण बनाए रखने के लिए, पंजीकृत ठेकेदार को न्यूनतम् प्रारम्भ (थ्रेशोल्ड) स्कोर का प्रदर्शन और रखरखाव करना होगा। गतिशील मूल्यांकन एचईडब्ल्यू पोर्टल पर आबंटित कार्यों के लिए अनुबंध–ए–1 और अन्यत्र आबंटित कार्यों के लिए अनुबंध ए–2 में परिभाषित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा और न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर 70: हैं। ठेकेदार के उस वर्ग के लिए प्रारम्भिक सीमा से नीचे आने वाले किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को ऑटो–अ पंजीकृत किया जाएगा। एच ई डब्ल्यू पी से अपंजीकरण प्रमाणपत्र उत्पन्न होगा।
8. उपरोक्त संख्या 15(7) में उल्लिखित कारणों के कारण से कोई भी अपंजीकृत ठेकेदार पुनः पंजीकरण के लिए पात्र हो सकता है; न्यूनतम प्रारम्भ स्कोर (70:) प्राप्त करने के मामले में और निम्नलिखित के अध्यधीनः–

   - अपंजीकरण के बाद 90 दिनों की अवधि के भीतर इस भार्त के अधीन रहते हुए कि वापसी योग्य जमा को आज तक वापस नहीं लिया गया है।
   - पात्रता के अधीन रहते हुए 90 दिनों के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

9. बोलीदाता, जो एचईडब्ल्यूपी के पास ठेकेदार के रूप में पंजीकृत है, किसी भी निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदा में ईएमडी छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए **अनुबंध–बी** में दिए गए प्रारूप के अनुसार सिस्टम जनरेटेड धरोहर राशि घोषणा फॉर्म अपलोड करेगा। बोलीदाता संबंधित निविदा की आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि के दौरान से ईएमडी घोषणा उत्पन्न कर सकता है।

16. वापसी योग्य जमा की वापसी

1. यदि कोई ठेकेदार पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता के दौरान स्वेच्छा से पंजीकरण का समर्पण करना चाहता है, तो वह एचईडब्ल्यूपी के माध्यम से एकमुश्त वापसी योग्य जमा की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है।
2. कोई भी अपंजीकृत ठेकेदार अपंजीकरण के बाद छह महीने की अवधि के भीतर एचईडब्ल्यूपी के माध्यम से एकमुश्त वापसी योगय जमा की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है, अन्यथा धन निधि स्वतः वापस होगी।

17. ठेकेदार के दायित्व

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार समय–समय पर यथा संशाधित पंजीकरण नियमों और संविदा करार के निबन्धनों और शर्तों और निविदा आमंत्रण सूचना का पालन करने का भी वचन देगा। संविदा करार के अनुसार समय पर और विहित विशिष्टियों और गुणवत्ता के साथ कार्य निष्पादित करने की ठेकेदार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को इन नियमों के तहत सभी दायित्वों को विनिर्दिष्ट समय में और तरीके से पूरा करना चाहिए, ऐसा न करने पर ठेकेदार उसमें यथा उल्लिखित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। कुछ दायित्वों का सारांश नीचे दिया गया हैः

(क) पते में परिवर्तन की सूचना अग्रिम में या पोर्टल पर एक महीने के भीतर बैंकर, आयकर और जीएसटी प्राधिकारियों से पावती सहित दी जानी चाहिए।

(ख) ठेकेदार को अनैतिक व्यवहार में लिप्त नहीं होना चाहिए और अच्छा आचरण बनाए रखना चाहिए। जहां कहीं भी कोई कार्रवाई या बोली या निविदा पूरी तरह या आंशिक रूप से अवास्तविक या अनुचित प्रतीत होती है, तो ठेकेदार 7 दिनों के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करेगा।

(ग) ठेकेदार उसे दिए गए कार्यों को अनुबंध के निबन्धनों और शर्तों और विशिष्टियों के अनुसार सख्ती से निष्पादित करेगा।

18. अनुशासनिक कार्रवाइयां और अयोग्यताएं

पंजीकरण प्राधिकारी अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सशक्त है जैसे कि पंजीकृत ठेकेदार को निम्न वर्ग में पदावनत करना, उसका पंजीकरण रद्द करना और उसे विवर्जित करना या उसका नाम पंजीकृत ठेकेदारों की सूची से अनिश्चित काल के लिए या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा यथा निश्चित अवधि के लिए कारण बताओं नोटिस जारी और व्यक्तिगत रूप में सुनवाईकरने के बाद हटाना पंजीकरण प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

पंजीकृत ठेकेदारों को सूची से हटाया जाना :

सक्षम प्राधिकारी परिमंडल/मंडल कार्यालयों से विशिष्ट कारणों/टिप्पणियों पर ठेकेदार का नाम पंजीकृत ठेकेदार की सूची से हटा सकता है, यदि कोई ठेकेदार–

- एक से अधिक अवसरों पर अनुबंध निष्पादित करने में विफल रह है या इसे असंतोषजनक रूप से निष्पादित किया है; (या)
- पंजीकरण की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या पंजीकरण के समय पर मिथ्य विवरण की जानकारी देता पाया जाता है; (या)
- अनुबंध की किसी भी महत्वपूर्ण शर्त (शर्तों) का लगातार रूप से उल्लंघन करता है ; (या)
- कई मामलों में दोषों के साथ कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार के रूप में साबित हुआ है (या)
- शोध–अक्षम या दिवालिया घोषित किया गया है या घोषित होने की प्रक्रिया में है, या परिसमाप्त कर दिया गया है या भंग कर दिया गया है या विभाजित किया गया है ; (या)
- श्रम नियमों और नियमों का लगातार उल्लंघन करता है।

सक्षम प्राधिकारी के पास ठेकेदार द्वारा उल्लंघन के लिए वापसी योग्य जमा राशि को जब्त करने का अधिकार आरक्षित है।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण (बी एंड आर) और वास्तुकला विभाग,
चंडीगढ़।

अनुबन्ध–ए–1

संविदात्मक एजेंसी के लिए मूल्यांकन प्रोफार्मा

- विभाग का नाम :
- नियोक्ता का नाम :
- इंजीनियर का नाम :
- इंजीनियर मोबाइल नंबर :
- कार्य का नाम :
- एजेंसी का नाम :
- नियोक्ता की ई मेल आईडी :
- करार राशि और संख्या
- शुरू होने की निर्धारित तिथि :
- पूरा होने की निर्धारित तिथि :
- पूरा होने की वास्तविक तिथि :
- पूर्ण किए गए कार्य की राशि :
- नियोक्ता लैंडलाइन नंबर :

क्रमांक संख्या	पैरामीटर	मूल्यांकन अंकों में
1.	क्या एजेंसी ने स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद समय पर कार्य बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।	0–5
2.	क्या एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार मासिक बिल प्रस्तुत किए हैं	0–5
3.	क्या एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार फील्ड प्रयोगशाला स्थापित की है	0–5
4.	क्या कार्य के निष्पादन के दौरान एजेंसी द्वारा अनावश्यक विवाद उठाए गए थे	0–5
5.	क्या एजेंसी ने त्रुटि दायित्व अवधि के दौरान संतोषजनक ढंग से कार्य का रखरखाव किया है?	0–5
6.	क्या एजेंसी ने अनुबन्ध समय में काम पूरा किया (वन समाशोधन, भूमि विवाद, उपयोगिताओं के स्थानांतरण, समय पर ड्राइंग/डिजाइनों की आपूर्ति न होना, कोई कोर्ट स्टे, भूमि अर्जन और प्राकृतिक आपदा जैसे कारणों को छोड़कर)	0–5
7.	क्या एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार कार्य कार्यक्रम/अद्यतन कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया है।	0–5
8.	क्या एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार सामग्री की बीजक प्रस्तुत किए है?	0–5
9.	क्या एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार स्टॉक की प्राप्ति और खपत रजिस्टर का रखरखाव किया है	0–5
10.	क्या कार्य की गुणवत्ता और कारीगरी संतोषजनक थी और मानकों के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव किया गया था	0–5
11.	क्या एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार मशीनरी स्थापित/तैयार की है	0–5
12.	क्या एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार प्रमुख कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया है	0–5

क्रमांक संख्या	पैरामीटर	मूल्यांकन अंकों में
13.	क्या एजेंसी ने कार्य के निष्पादन के दौरान श्रम कानूनों का पालन किया	0–5
14.	क्या कार्य के निष्पादन के दौरान एजेंसी ने पर्यावरण कानूनों का पालन किया	0–5
15.	क्या एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार बीमा कवर प्रदान किया है?	0–5
16.	क्या एजेंसी ने समय में इंजीनियर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया?	0–5
17.	क्या एजेंसी ने कार्य के निष्पादन के दौरान सुरक्षा मानदंडों का पालन किया है	0–5
18.	क्या कार्य के निष्पादन के दौरान जनता को कोई असुविधा हुई है?	0–5
19.	क्या कार्य के निष्पादन के बाद एजेंसी द्वारा प्रस्तुत निर्मित चित्र के रूप में है?	0–5
20.	क्या एजेंसी ने कार्य स्थल पर पर्यावरणीय पहलू और स्वच्छता का अनुपालन किया है; एजेंसी ने काम पूरा होने से पहले सभी तरह का मलबा आदि हटा दिया है?	0–5
	कुल अधिकतम अंक	100

अनुबन्ध–ए–2

संविदात्मक एजेंसी के लिए मूल्यांकन प्रोफार्मा

- विभाग का नाम :
- नियोक्ता का नाम :
- इंजीनियर का नाम :
- इंजीनियर मोबाइल नंबर :
- कार्य का नाम :
- एजेंसी का नाम :
- नियोक्ता की ई मेल आईडी :
- अनुबंध राशि और संख्या :
- शुरू होने की निर्धारित तिथि :
- पूरा होने की निर्धारित तिथि :
- पूरा होने की वास्तविक तिथि :
- पूर्ण किए गए कार्य की राशि :
- नियोक्ता लैंडलाइन नंबर :

क्रमांक संख्या	पैरामीटर	मूल्यांकन अंकों में
1.	क्या एजेंसी ने अनुबन्ध समय में काम पूरा किया (वन समाशोधन, भूमि विवाद, उपयोगिताओं के स्थानांतरण, समय पर ड्रांइग/डिजाइनों की आपूर्ति न होने, कोई अदालती स्टे, भूमि अर्जन और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारणों को छोड़कर)	0–30
2.	क्या कार्य की गुणवत्ता और कारीगरी संतोषजनक थी और मानकों के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव किया गया था	0–30
3.	क्या एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार स्टॉक की प्राप्ति और खपत रजिस्टर को बनाए रखा है	0–10
4.	क्या एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार प्रमुख कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया है	0–10
5.	क्या एजेंसी ने समय में इंजीनियर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया	0–10
6.	क्या एजेंसी ने कार्य के निष्पादन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया	0–10
	कुल अधिकतम अंक	100

अनुबन्ध–बी

धरोहर राशि घोषणा प्ररूप

(यदि बोलीदाता हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल पर ठेकेदार के रूप में पंजीकृत और सत्यापित है)

निविदा का नामः– .....

निविदा संख्या ..... निविदा प्रारंभ की तिथि ..... निविदा समाप्ति की तिथि ..... .

1. मैं इसके द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत करता हूं कि बोलीदाता की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत बोली (बोलीदाता का नाम), वैधता की अवधि के दौरान अर्थात बोली की नियत तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों से कम की अवधि के दौरान वापस या संशोधित नहीं की जाएगी।

2. मैं, बोलीदाता की ओर से, (बोलीदाता का नाम) इस तथ्य को भी स्वीकार करता हूं कि यदि बोली वापस ले ली जाती है या इसकी वैधता की अवधि के दौरान संशोधित की जाती है या यदि हम काम सौंपे जाने की स्थिति में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं। या हम निविदा दस्तावेज के प्रासंगिक खंड में परिभाषित समय सीमा से पहले कार्य प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो (बोलीदाता का नाम) हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग/बोर्डों/निगमों आदि में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इस कार्य की देय तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

दिनांकः– .....। बोलीदाता का नामः– .....

नोटः– यह कंप्यूटर जनित है और इसके लिए किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हैं

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDINGS& ROADS BRANCH)

Notification

The 20th May, 2022

No.02/04/2021-2B&R(W).— Registration Rules for Contractors –2022, Haryana Engineering Works Portal. In exercise of the powers conferred by Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Haryana is pleased to make the rules regulating the Registration of Contractors onHaryana Engineering Works Portal.

Table of Contents

1. Preamble
   1.1 Title
   1.2 Objective
2. Definitions
3. Applicability
4. Classes of Contractor for all types of work
5. Solvency Certificate
6. Registration Fees
7. Refundable Deposit for Registration
8. Period of validity of Registration and renewal
9. Qualification for Registration for Engineering works
10. Approval Committee & Timeline for dealing registration application of Contractors
11. Timeline for dealing registration application
12. List of Documents to be uploaded for Registration
13. Registration Certificate
14. Applicability of Registration Certificate
15. Other Rules
16. Return of Refundable Deposit
17. Contractor’s obligations
18. Disciplinary Actions and Disqualifications
19. ANNEXURE-A1
20. ANNEXURE-A2
21. ANNEXURE-B

Acronyms and Abbreviations

CA	Chartered Accountant
CE	Chief Engineer
EE	Executive Engineer
EMD	Earnest Money Deposit
GoI	Government of India
GoH	Government of Haryana
GST	Goods and Services Tax
HEWP	Haryana Engineering Works Portal
ITR	Income Tax Return
ISI	Indian Standards Institution
ICT	Information and Communication Technology
LLC	Limited Liability Company
IT	Information Technology
MSME	Micro, Small and Medium Enterprises
NIT	Notice Inviting Tender
NIC	National Informatics Centre
PAN	Permanent Account Number
PBG	Performance Bank Guarantee
SE	Superintending Engineer
TAN	Tax Deduction and Collection Account Number

1. Preamble

1.1 Title

These rules shall be called the "Registration Rules for Contractor-2022, Haryana" and shall come into force with effect from the date of notification/approval from the Govt.

1.2 Objective

The objective of the Registration Rules for Contractors- 2022is to provide exemption from deposit of Earnest money to the registered contractors as well as support the ease of doing business. The "*Haryana Engineering Works Portal(HEWP)*" aims to provide a single window for contractors to bring in transparency and ease of access.

Registered contractor will be benefitted from following benefits:

1. Registered contractor will be exempted from paying Earnest Money Deposit for tenders processed on Haryana Engineering Works Portal (HEWP).
2. One Stop Information Platform for department as well as Contractors.
3. Improve Transparency and online facilitation for contractors regarding registration, renewal, tenders, allotment of works etc.

2. Definitions

1. **'Authorized Signatory'**means the bidder's representative/ officer vested (explicitly, implicitly, or through conduct) with the powers to commit the authorizing organization to a binding agreement. Also called signing officer/ authority having the Power of Attorney (PoA) from the competent authority of the respective bidding firm.
2. **'Competent Authority'**means an authority or officer to whom the relevant administrative or financial powers have been delegated for taking decision in a matter relating to procurement.
3. **'Chief Engineer'**means Chief Engineer of Engineering Departments Haryana,
4. '**Class'**means the class in which a contractor has been registered,
5. '**Company'**means the company formed & registered under the IndianCompany's Act, 1956,
6. **'Corporate body'**means a body incorporated under the Company's Act-1956, Haryana companies Act-1956 or The Haryana Co-operative Societies Act-1984.
7. '**Firm'** means "Persons who have entered into partnership with one another are called individually "partners" and collectively "a firm", and the name under which their business is carried on is called the "firm name" as per Section 2(23)(i), Income-tax Act 1961from Section 4, Indian Partnership Act,1932.
8. **'Departments'** means Engineering Departments (On boarded on HEWP portal), Haryana of Government of Haryana,
9. **'Earnest Money Deposit or EMD'**means a sum of money required to be submitted with thetender.
10. **'Engineer-in-Chief'**means Engineer-in-Chief of Engineering Departments, Haryana,
11. **'Executive Engineer'**means Executive Engineer of a Division of Engineering Departments, Haryana,
12. '**Labour and Construction Society'**means a labour and construction societyregistered under the Haryana Cooperative Societies Act-1984 for undertaking civil works,
13. **'LLP'** means Limited Liability Partnership where liability of the partners is limited to their agreed contribution in the LLP.
14. **'PAN'**means Permanent Account Number issued by the Income TaxAuthorities, Government of India,
15. **'CIN'** means Corporate Identification Number is a unique identification number, which is assigned by the ROC (Registrar of Companies) of various states under the MCA (Ministry of Corporate Affairs) Govt of India. Corporate Identity Number is a 21 digits alpha-numeric code issued to companies incorporated within the country on being registered by the ROC situated in different states across India.
16. **'DIN'** means Director Identification Number is a unique Identification Number allotted to an individual who is appointed as a director of a company, pursuant to section 153 & 154 of the Companies Act, 2013.
17. **'GST'** means the Goods and Services Tax number issued by the concerned department of Government of India,
18. **'Secretary'** means Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary to Government,
19. **'State Government'** means Government of Haryana,

20. **'Superintending Engineer'** means Superintending Engineer of a Circle or Head Office of Engineering Departments, Haryana as the case may be,

21. **'Tender'** means an offer submitted by a contractor to the Department in response to a notice inviting tender for executing a work,

22. **'Tendering limit'** means the maximum limit up to which a registeredcontractor is eligible to tender.

23. **Registration Authority'** means respective approvalcommittee as specified under these ruleswho have been vested with powers for dealing and taking decisions with respect to application of contractors for registration on Haryana Engineering Works Portal.

3. Applicability

It is intended to registered contractors on Haryana Engineering Works Portal (HEWP) to have a ready list of suitable and competent contractors for Engineering Departments works so as to minimize requirement and time for verificationof credentials of contractors at the time of tenders. At the same time, those contractors who are registered will be benefitted with exemption of Earnest Money Deposit (EMD). Any Indian Individual, Sole Proprietorship Firm, Partnership Firm, Limited Liability Partnership, Public Limited Company or a Private Limited Company may apply for registration as a contractor in Engineering Departments, Haryana under these Rules provided the eligibility criteria and other conditions are satisfied. The registered contractors have to abide by all the rules made herein and as amended from time to time during the validity of their registration as below.

(i) Every contractor intending to submit bids for works in engineering departments of Government of Haryana will have to create login on Haryana Engineering Works Portal"https://works.haryana.gov.in". After creation of login account, contractor may also apply for registration on the HEWP to take the benefits of exemption of EMD.

(ii) The Application format will be available on "https://works.haryana.gov.in" after creation login account.

(iii) There is no fee for creating login account on HEWP by the contractors.

(iv) Contractors not registered on HEWP can also participate in tender, but they will not get the EMD exemption benefit and contractors shall furnish, as part of the Bid, anEMD for the amount as specified in a particular work.

(v) Contractor registered in lower class on HEWP and technically eligible to participate in higher class of tenders, then the contractor is liable to pay EMD as applicable to not registered contractor.

(vi) No employee/outsourced employee connected with directly or indirectly with the Government department, Government Company or statutory organization shall be entitled for Registration. For the purpose of this rule, Government Company includes a co-operative society, labour & construction society or corporate body, which receives financial grants from any government sources on a regular basis.

(vii) No individual, or a firm/LLP/company having such individual as one of the partners/directors, who is a dismissed government servant; or removed from the registered list of contractors; or having business banned/ suspended by any government department or Public Sector Undertaking or local body or Autonomous body in the past; or convicted by a court of law shall be entitled for Registration. However, cases where disciplinary action was taken against the contractor for a Specified period and such penalty period is already over, his case for registration / revalidation can be considered.

(viii) An individual or a firm or a company or Karta of Hindu Undivided Family, corporate body, firm, cooperative society, Labour and Construction Society, who has been debarred for doing business with any government department (Center or any state government) or government company or co-operative society or corporate body or a statutory organization, which receives financial grants from government, shall not be eligible for registration.

(ix) An individual or a partner of a firm or Director of a company or organization, Managing Director or Chief Executive has been convicted by a court of law in a case of moral turpitude or in a case under Prevention of Corruption Act, shall not be eligible for registration.

(x) The contractors shall abide by the terms and conditions set out in the tender documents.

(xi) If two or more individuals form a partnership firm and if any of the partners is having required work experience to become eligible for registration in any Class in which registration is sought, their case

shall be considered for registration of the partnership firm subject to fulfilment of other laid down criteria. Similarly, the past work experience gained from the works completed by the sole proprietor or any partner of new firm, provided he has left or disassociated himself from his earlier firm shall also be considered in the same proportion of share of the applicant in that partnership firm.

(xii) No Engineer or any other official employed in Engineering or Administrative duties in any Engineering Department of the Government of India or any State Government is allowed to work in the Engineering Departments as employee of a contractor for a period of one year after his retirement from Government service unless he has obtained prior permission to do so. Even after registration, if either the contractor or any of his employees is found to be a person who had not obtained the prior permission as aforesaid, the name of the contractor shall be removed from the list of registered contractors.

(xiii) A partner of a firm or a Director of a company registered as a contractor in a Class cannot be a partner/director in any other registered firm/company on HEWP in any one of the engineering departments.

4. Classes of Contractor for all types of works:-

S.No.	Classes of Contractor	Amount of work
1	Class I	More than 25 Crore
2	Class II	Up to 25 Crore
3	Class III	Up to 10 Crore
4	Class IV	Up to 01 Crore

5. Solvency Certificate

The bank solvency certificate of the value given as under or as revised from time to time, shall have to be submitted by the contractors for registration: -

Sr. No.	Classes of Contractor	Value of solvency certificate (Rs. in lacs)
1	Class I	200.00
2	Class II	100.00
3	Class III	50.00
4	Class IV	NIL

6. Registration Fees

The onetime non- refundable registration fee ofRs. 5000/- (Rupees Five Thousand only), or as amended from time to time by the competent authority, will be submitted online through Haryana Engineering Works Portal (HEWP) for registration process.

7. Refundable Deposit for Registration

The one-time refundable deposit for registration will be paid online only. However, the refundable deposit will be paid after the application has beenscrutinized/verified and found as eligible for registration by the competent authority as under:

S.No.	Classes/Categories of Contractor	Refundable Deposit (Rs. Lacs)
1	Class I	15.00
2	Class II	10.00
3	Class III	05.00
4	Class IV	00.50

8. Period of validity of Registration and renewal

Registration of a contractor shall be done for a period of 5 (Five) years. However, contractor is eligible to apply for renewal of registration for a further period of Five years, for which contractor may apply three months before the expiry of the registration. Agency can apply any time for upgrade of class from where previously registered subject to meeting all eligibility criteria and conditions.

9. Qualification for Registration for Engineering Works

Average annual turnover in any of the last five years and minimum value of work executed in last five years, for registration for different classes of contractors, shall be as under: -

S.No.	Classes/Categories of Contractor	Annual turnover in any of the last five years (Rs. in Lacs)	Minimum value of work executed in last five years
1	Class I	1000.00	Single work of Rs. 20 crores or two works each of Rs. 12.5 crores or three works each of Rs. 10crores.
2	Class II	500.00	Single work of Rs. 10crores or two workseach of Rs. 6.25crores or three works each of Rs. 5crores.
3	Class III	300.00	Single work of Rs. 4 crores or two works each of Rs. 2.5 crores or three works each of Rs. 2 crores.
4	Class IV	NIL	NIL

10. Approval Committee & Timeline for dealing registration application of Contractors

The credentials of contractors who apply for registration shall be got verified by the following committee.

S.No.	Classes/Categories of Contractor	Category	Approval Committee
1	Class I & Class II	(i) Chief Engineer (Senior most)	Chairman
		(ii) Chief Engineer (Second Senior most)	Member
		(iii) Superintending Engineer (Head Office)*	Member Secretary
2	Class III	(i) Superintending Engineer of respective Circle	Chairman
		(ii) 1st senior most Executive Engineers under the concerned Circle	Member
		(iii) Superintendent of the concerned circle	Member Secretary
3	Class IV	(i) Executive Engineer of Respective Division	Chairman/Member**
		(ii) One Executive Engineer to be nominated by Superintending Engineer.	Chairman/Member**
		(iii) Deputy Superintendent (working in respective Division)	Member Secretary
Note: * To be nominated by Engineer-in-Chief. **Senior among (i) or and (ii) will act as Chairman			

Once the Interested applicant submits his application for registration in requested class, the application flow will be as under:-

Process flow for dealing registration cases:

Level	Class-I & Class-II	Class-III	Class-IV
I	The Submitted application will be scrutinized, verified at the respective Division level and forwarded to respective circle.	The submitted application will be scrutinized, verified at the respective Division level and forwarded to respective circle.	The Submitted application will be scrutinized, verified and finalized at the respective Division level.
II	The Submitted application will be scrutinized, verified at the respective Circle level and forwarded to Head office.	The Submitted application will be scrutinized, verified and finalized at the respective Circle level.	--
III	The Submitted application will be scrutinized, verified and finalized at the respective Head office level.	--	--

11. Timeline for dealing registration applications

The contractor will choose the Departments, Circle and Division during submission of registration application for verification through approval committee.

The Maximum time period to process the registration application is 36 days and the defined time limit as under at each level of verification. If no response is given by the authority at first stage within the given time limit, the application will be open for the next stage to the nodal Division.

Competent authority for registration process shall decide/verify all applications received within the time period as under:

S.No.	No. of Days	Verification Authority
1	15 Days	Client Department of Haryana Government, Board, Corporations etc. for verification of contractor performancefor a particular work under their jurisdiction.
2	7 Days	Nodal Division
3	7 Days	Concerned Circle
4	7 Days	Head office Committee of chief Engineer

12. List of Documents to be uploaded for Registration

Interested applicant should upload the Following documents at the time of registration:

A. Mandatory Documents

1. Proof of Constitution - Partnership deed (in case of the partnership firm registration); or Certificate of Incorporation (in case of Private limited company, public limited company, Public sector undertaking, Limited Liability Partnership, registration); or Any proof substantiating constitution (in the case of society, trust, AOP, Government department, local authority, statutory body registration.)
2. PAN Card
3. GST Certificate
4. Undertaking of Non-Blacklisting – (Certificate that contractor has not been blacklisted previously)
5. Proof of immovable properties/self-certification that doesn't have any property
6. Registration certificate of Labour Department

7. Solvency Certificate(for class I,II & III)
8. ITR of last three years
9. Cancelled Cheque (Proof of bank account)
10. Proof of Address
11. CA certificate on Turnover (for class I,II & III)
12. Signed copy of complete application.

B. Optional Documents

1. TAN Number Document
2. MSME Registration Certificate (If Applicable)
3. Form 26AS for last three years (Provided by Income Tax Department)
4. LLcs (Limited Liability Company) to upload last audited balance sheet
5. Change of constitution of agency
6. Litigation History (If any)
7. List of Abandoned works (if any)
8. Any Other relevant documents

13. Registration Certificate

Once the contractor has been found eligible and have paid prescribed deposit, hecan generateRegistration Certificate from the portal. The Registration Certificate in prescribed format with QR code will contain the basic details of agency. The certificate can be verified online by scanning QR code. No other registration certificate will be issued.

14. Applicability of Registration Certificate

The Registration Certificate will be valid on all on-boarded Engineering Departments of Haryana on HEWP.

15. Other Rules

1. The contractor has to update the data online whenever there is any change in the constitution or address of the firm/company.
2. The registration certificate shall be valid for 5 years unless de-registered by Competent Authority or voluntary.
3. In case the contractor is blacklisted/de-barred for tendering in any of the department/board/corporation of the State of Haryana or Other States or Govt. of India, contractor shall be de-registered. The respective Division(where such action would be taken) will update such status on HEWP and upload related documents.
4. In case the contractor wants to upgrade the class, it may apply on portal with necessary documents as required.
5. In case of a Co-operative Labour & Construction Societies, one-time refundable deposit for registration shall be fifty percent of the amount mentioned in point no. 7 “Refundable deposit for *Registration*” above.
6. The earnest money deposit (EMD) for unregistered Co-operative Labour & Construction Societies shall be governed by rules and notification ***(As per GoH Notification No. 8366-C-7-2016/13819 dated 08-12-2016)***, as amended from time to time, by Department of Co-operation, Government of Haryana
7. The performance of the registered contractor shall be monitored and evaluated after completion of each work. To maintain registration in particular Class, the registered contractor shall have to perform and maintain a minimum threshold Score. The dynamic evaluation shall be carried out on the basis of parameters defined in **ANNEXURE-A1** for works allotted on HEW Portal and **ANNEXURE-A2** for works allotted elsewhere and the minimum threshold Score is 70%. Any registered contractor falling below the threshold limit for that class of contractor will be autode-registered. Deregistration certificate will be generated from HEWP.
8. Any deregistered contractor due to reason mentioned in point no. 15(7) abovemay beeligible for registration again;in case of achieving minimum threshold Score (70 %) and subject to following:
    - Within a period of 90 days after deregistration subject to the condition that refundable deposit has not been withdrawn till date.
    - May apply for registration after 90 days, subject to eligibility.

9. The bidder, who is registered,as contractor with HEWP, shall upload system generated an**Earnest Money declaration form** as per format given in **ANNEXURE-B** to get the benefit of EMD Exemption in Tender during any tender process. Bidder can generate EMD declaration from during start date and end date of respective tender.

16. Return of Refundable Deposit

1. If any contractor wants to voluntary surrender the registration during validity of registration certificate, he may apply for return of one-time refundable deposit through HEWP.
2. Any deregistered contractor may apply for return of one-time refundable deposit through HEWPwithin a period of Six months after deregistration, otherwise funds will be auto returned.

17. Contractor's obligations

Every registered contractor shall undertake to abide by the Registration Rules as amended from time to time and also by the terms and conditions of contract agreement and the Notice Inviting Tender. It shall be the primary responsibility of the contractor to execute work as per contract agreement on time and with prescribed specifications and quality. The contractor should fulfil all obligations under these rules in time and manner as specified, failing which contractor shall be liable for the action as mentioned therein. Some of the obligations are summarized below:

(a) Intimation of change of address should be given in advance or within one month on the portal along with acknowledgement from Banker, Income Tax and GST authorities.

(b) The contractor should not indulge in unethical practices and maintain good conduct. The contractor shall provide satisfactory explanation within 7 days wherever any action or bid or tender in whole or part appears unrealistic or unreasonable.

(c) The contractor shall execute the works awarded to him/her strictly as per the terms and conditions of the contract and specifications.

18. Disciplinary Actions and Disqualification

Registration authority is empowered to take disciplinary actions such as to demote a registered contractor to a lower class, cancel his registration and debar him or remove his name from the list of registered contractors indefinitely or for a period as decided by registration authority after issue of show cause notice and being heard in person. Decision of the registrationauthority shall be final and binding on the contractor.

Removal from the list of registered contractors:

The Competent authority on specific reasons/ remarks from Circle/Division offices may remove the name of a contractor from the list of registered contractor, if a contractor-

- Has on more than one occasion failed to execute a contract or has executed it unsatisfactorily (or)
- Fails to abide by the conditions of Registration or is found to have given false particulars information at the time of registration (or)
- Persistently violates any important condition (s) of the contract (or)
- Is proved to be responsible for executing the works with defects in a number of cases (or)
- Is declared or in the process of being declared bankrupt or insolvent, or wound up or dissolved or partitioned (or)
- Persistently violates the labour regulations and rules.

Competent Authority reserves the right to forfeit the refundable deposit for violation by the contractor.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Work (B&R) & Architecture Department,
Chandigarh.

19. **ANNEXURE-A1**

Appraisal Proforma for Contractual agency

- Name of Department :
- Name of Employer :
- Name of Engineer:
- Engineer Mobile No. :
- Name of work :
- Name of agency :
- Employer E mail Id:
- Agreement amount and no. :
- Scheduled date of start :
- Scheduled date of completion :
- Actual date of completion :
- Amount of completed work :
- Employer Landline No.:

Sr. No.	Parameters	Valuation in marks
1.	Whether agency has submitted performance bank guarantee in time after issuance of letter of acceptance	0 - 5
2.	Whether agency has submitted the monthly bills as per Contract	0 - 5
3.	Whether agency has established field laboratory as per Contract	0 - 5
4.	Whether unnecessary disputes were raised by the agency during execution of work	0 - 5
5.	Whether the agency maintained the work satisfactorily during defect liability period	0 - 5
6.	Whether the agency completed the work in stipulated time (except for the reasons such as forest clearance, land dispute, shifting of utilities, non-supply of drawings/designs in time, any court stay, land acquisition and natural calamities)	0 - 5
7.	Whether the agency submitted the work programme/updated work programme as per Contract	0 - 5
8.	Whether the agency submitted the invoices of materials as per Contract	0 - 5
9.	Whether the agency maintained the receipt and consumption register of stocks as per Contract	0 - 5
10.	Whether quality of work and workmanship was satisfactory and maintained quality control register as per norms	0 - 5
11.	Whether the agency installed/mobilized the machinery as per Contract	0 - 5
12.	Whether the agency deputed key personnel as per Contract	0 - 5
13.	Whether the agency followed labour laws during execution of work	0 - 5
14.	Whether the agency followed environmental laws during execution of work	0 – 5
15.	Whether the agency provided insurance cover as per Contract	0 – 5
16.	Whether the agency followed the instructions given by the Engineer in time	0 – 5
17.	Whether the agency followed safety norms during execution of work	0 – 5
18.	Whether any inconvenience caused to public during execution of work	0 – 5
19.	Whether as built drawings submitted by the agency after execution of work	0 – 5
20.	Whether the agency complied with environmental aspect and cleanliness at site of work; The agency removed all type of debris etc. before completion of work.	0 – 5
	Total Maximum marks	**100**

20. **ANNEXURE-A2**

Appraisal Proforma for Contractual agency

- Name of Department :
- Name of Employer :
- Name of Engineer:
- Engineer Mobile No. :
- Name of work :
- Name of agency :
- Employer E mail Id:
- Agreement amount and no. :
- Scheduled date of start :
- Scheduled date of completion :
- Actual date of completion :
- Amount of completed work :
- Employer Landline No.:

Sr. No.	Parameters	Valuation in marks
1	Whether the agency completed the work in stipulated time (except for the reasons such as forest clearance, land dispute, shifting of utilities, non-supply of drawings/designs in time, any court stay, land acquisition and natural calamities)	0 –30
2	Whether quality of work and workmanship was satisfactory and maintained quality control register as per norms	0 –30
3	Whether the agency maintained the receipt and consumption register of stocks as per Contract	0 –10
4	Whether the agency deputed key personnel as per Contract	0 –10
5	Whether the agency followed the instructions given by the Engineer in time	0 –10
6	Whether the agency followed safety norms during execution of work	0 –10
	Total Maximum marks	**100**

21. **ANNEXURE-B**

Earnest Money Declaration Form

(In case of bidder is registered and verified as contractor on Haryana Engineering Works portal)

Tender Name:-…….

Tender No. …… Tender Start Date……. Tender End Date……..

1. I hereby submit a declaration that the bid submitted by the undersigned, on behalf of the bidder, (name of the Bidder), shall not be withdrawn or modified during the period of validity i.e. not less than 120 (one hundred twenty) days from the bid due date.

2. I, on behalf of the bidder, (Name of Bidder), also accept the fact that in case the bid is withdrawn or modified during the period of its validity or if we fail to sign the contract in case the work is awarded to us or we fail to submit a performance security before the deadline defined in relevant clause of the tender document, then (Name of Bidder) will be debarred for participation in the tendering process in any of the Department/Boards/Corporations etc. of the Government of Haryana for a period of Two year from the bid due date of this work.

Date: - ……. Bidder Name:-……..

Note: - ***This is a Computer generated and do not require any signature***

9612—C.S.—H.G.P. Pkl.